

**झारखण्ड सरकार**  
**श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**  
**अधिसूचना**

एस०ओ०.....

दिनांक.....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948का 11)का की धारा-3के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3में प्रदर्शित भासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

| क्रम सं० | अनुसूचित नियोजनों के नाम                          | माह एवं वर्ष                        | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) |
|----------|---|-------------------------------------|---|
| 1        | 2   | 3                                   | 4   |
| 1        | बौध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन          | जुलाई, 2017                         | 264   |
| 2        | पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन | अगस्त, 2017                         | 265   |
| 3        | चर्म शोभनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन    | सितम्बर, 2017                       | 264   |
| 4        | फोल्ड स्टोरेज के नियोजन                           | अक्टूबर, 2017                       | 287   |
| 5        | डिस्टीलरीज के नियोजन                              | नवम्बर, 2017                        | 260   |
| 6        | पाटीज के नियोजन                                   | दिसम्बर, 2017                       | 266   |
| 7        | बेकरीज एवं कनफेक्शनरीज के नियोजन                  | कुल                                 | 268.6   |
| 8        | क्रो-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन                     | छः माह का औसत                       | $\frac{269.6}{6}$<br>=269                               |
| 9        | अल्युमिनियम उद्योग के नियोजन                      |                                     |   |
| 10       | खण्डसारी उद्योग के नियोजन                         |                                     |   |
| 11       | कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन       | पुनरीक्षित निर्धारित बिन्दु अर्थात् | 243   |
| 12       | साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन                    |                                     |   |
| 13       | सिमेन्ट ग्री-स्टरट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन     | प्रतिशत वृद्धि                      | $266-243=23$<br>13.04% की वृद्धि                        |
| 14       | एसबेस्टरा सिमेन्ट कारखाना के नियोजन               |                                     |   |
| 15       | ग्लास सीट निर्माण के नियोजन                       |                                     |   |
| 16       | इन्दुक कारखाने के नियोजन                          |                                     |   |
| 17       | धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन             |                                     |   |

| 1  | 2  | 3 | 4 |
|----|--|---|---|
| 18 | पेपर उद्योग के नियोजन  |   |   |
| 19 | लॉण्ड्री एवं वाशिंग के नियोजन                                      |   |   |
| 20 | होजियारी निर्माण के नियोजन   |   |   |
| 21 | सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन                          |   |   |
| 22 | चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन                                       |   |   |
| 23 | उड़ बर्क्स एवं फर्निचर के नियोजन                                   |   |   |
| 24 | आइस्क्रॉम एवं कोल्ड ड्रिक्स के नियोजन                              |   |   |
| 25 | पेट्रोल एवं डीजल पम्प के नियोजन                                    |   |   |
| 26 | फिशरीज के नियोजन   |   |   |
| 27 | खादी ग्रामोद्योग के नियोजन   |   |   |
| 28 | प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन                            |   |   |
| 29 | हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन  |   |   |
| 30 | निजी अस्पताल नर्सिंग होमस एवं क्लीनिकस के नियोजन                   |   |   |
| 31 | सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन         |   |   |
| 32 | मुद्रणालय के नियोजन  |   |   |
| 33 | अथरख कार्यों (खादानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन  |   |   |
| 34 | हैण्डलूम उद्योग के नियोजन  |   |   |
| 35 | स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन  |   |   |
| 36 | रिफ्रेकट्रीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन           |   |   |
| 37 | किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन                               |   |   |
| 38 | पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन                                  |   |   |
| 39 | किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन |   |   |
| 40 | होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन                           |   |   |
| 41 | ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन   |   |   |
| 42 | डैयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स के नियोजन                               |   |   |
| 43 | ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन                               |   |   |

| 1  | 2  | 3 | 4 |
|----|--|---|---|
| 44 | सिनेपा उद्योग के नियोजन  |   |   |
| 45 | चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों के नियोजन   |   |   |
| 46 | तेल मिलों के नियोजन  |   |   |
| 47 | सिखई उद्योग के नियोजन  |   |   |
| 48 | खर एवं खर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें अखर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन            |   |   |
| 49 | विजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन                       |   |   |
| 50 | प्लास्टिक उद्योग के नियोजन   |   |   |
| 51 | सिमेन्ट से ह्यूम पाईप, विजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन                 |   |   |
| 52 | कृषि नियोजन  |   |   |
| 53 | जिल्दराजी उद्योग के नियोजन   |   |   |
| 54 | दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगोटैड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन |   |   |
| 55 | इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन  |   |   |
| 56 | प्लाइवुड उद्योग के नियोजन  |   |   |
| 57 | दलई (फाउन्डी उद्योग) के नियोजन   |   |   |
| 58 | बिस्कुट उद्योग के नियोजन   |   |   |
| 59 | कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन   |   |   |
| 60 | प्राइवेट सिक्यूरिटी ऐजेन्सी के नियोजन  |   |   |
| 61 | लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन                            |   |   |
| 62 | मिनरल ग्राइंडिंग के नियोजन   |   |   |
| 63 | बुहारने और सफाई का कार्यों के नियोजन   |   |   |
| 64 | घरेलू नौकर के नियोजन   |   |   |
| 65 | स्पंज आयरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनपोट के नियोजन                                |   |   |
| 66 | मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शांपा के नियोजन   |   |   |
| 67 | मोटर बाँड़ी बिल्डिंग के नियोजन   |   |   |
| 68 | मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन   |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 69 | प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन (शिक्षण कार्य छोड़कर) |   |   |
| 70 | जमीन के नीचे वाटर सप्लाय पाईप लाईन एवं कैंबुल बिछाने के नियोजन                              |   |   |
| 71 | इलेक्ट्रीसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाय के नियोजन   |   |   |
| 72 | पंडाल आदि का साज सज्जा आदि के नियोजन  |   |   |
| 73 | प्राइविंग एण्ड क्लिनिंग ऑफ मिनरल ओर के नियोजन   |   |   |
| 74 | सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन                      |   |   |
| 75 | कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन  |   |   |
| 76 | मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य  |   |   |
| 77 | विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तों) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन                    |   |   |

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई-दिसम्बर, 2017 (वर्ष 2017 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक 01.04.2018 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-2/एम०डबल्यू०-2071/2010, प्र०नि०- 591 रैंची, दिनांक २६.०३.१८)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(नन्दबुधु भगत)

सरकार के अवर सचिव।

## अधिसूचना

एस०ओ०.....

दिनांक .....

का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348के खण्ड-3के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-2/एम०डब्लू०-2071/2010,ब्र०नि०-590 रैंची, दिनांक 26.03.18)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



( बुद्धदेव प्रसाद )

सरकार के अवर सचिव।

## NOTIFICATION

S.O...../

dated .....

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

| SL No. | Scheduled Employment              | Month & Year    | All India Consumer Price Index No. (2001=100) |
|--------|-----------------------------------|-----------------|---|
| 1      | 2                                 | 3               | 4   |
| 1      | Dam Construction and Irrigation   | July, 2017      | 285.00  |
| 2      | Shops Selling Cooked food stuff   | August, 2017    | 285.00  |
|        |                                   | September, 2017 | 285.00  |
| 3      | Tanneries and Leather Manufactory | October, 2017   | 287.00  |
| 4      | Cold Storage                      | November, 2017  | 288.00  |
| 5      | Distilleries                      | December, 2017  | 286.00  |
| 6      | Potteries                         | Total-          | 1716.00                                       |
| 7      | Bakeries and Confectionaries      |                 |   |
| 8      | Co-Operative Sector               | Average         | <u>1716.00</u>                                |
| 9      | Aluminum Industry                 |                 | 6   |
| 10     | Khandsari Industry                |                 | = 286   |
|        |                                   |                 | 286-253=33 Points                             |
|        |                                   |                 | =13.04% increase                              |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 11 | Chemical Pharmaceutical Industry                                |   |   |
| 12 | Soap Making Industry  |   |   |
| 13 | Cement Pre-Stressed Product Industry                            |   |   |
| 14 | Asbestos Cement factory   |   |   |
| 15 | Glass Sheet Industry  |   |   |
| 16 | Gun factory   |   |   |
| 17 | Religious and Social Industry                                   |   |   |
| 18 | Paper Industry  |   |   |
| 19 | Laundry and Washing   |   |   |
| 20 | Hosieries Manufacturing   |   |   |
| 21 | Manufacture of Sindur and Rang                                  |   |   |
| 22 | Manufacture of leather goods                                    |   |   |
| 23 | Wood work and Furniture   |   |   |
| 24 | Ice-cream and Cold drink  |   |   |
| 25 | Petrol and Diesel Pump  |   |   |
| 26 | Fisheries   |   |   |
| 27 | Khadi and Village Industry                                      |   |   |
| 28 | Private Ferrise and L.T.C.                                      |   |   |
| 29 | Hard Coke Oven  |   |   |
| 30 | Private Hospital, Nursing                                       |   |   |
| 31 | Construction or maintenance of Road or in building construction |   |   |
| 32 | Printing Press  |   |   |
| 33 | Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)        |   |   |
| 34 | Handloom Industry   |   |   |
| 35 | Manufacture of Gold Articles of stistic design                  |   |   |
| 36 | Refractories, Fire bricks ceramic Industry                      |   |   |
| 37 | Any shop or Establishment                                       |   |   |
| 38 | Public Motor Transport  |   |   |
| 39 | Any University, Education Research of Iultural Institution      |   |   |



| 1  | 2  | 3 | 4 |
|----|--|---|---|
| 40 | Hotels, Eating House and Resturant   |   |   |
| 41 | Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment                                     |   |   |
| 42 | Dairies and Poultry Farms  |   |   |
| 43 | Auto Mobile Engineering  |   |   |
| 44 | Cinema Industry  |   |   |
| 45 | Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills   |   |   |
| 46 | Tailoring Industry   |   |   |
| 47 | Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included) |   |   |
| 48 | Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry                       |   |   |
| 49 | Plastic Industry   |   |   |
| 50 | Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry                     |   |   |
| 51 | Employment in Agriculture  |   |   |
| 52 | Book Binding Industry  |   |   |
| 53 | Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)                                       |   |   |
| 54 | Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory                     |   |   |
| 55 | Electronics Industry   |   |   |
| 56 | Plywood Industry   |   |   |
| 57 | Foundry Industry   |   |   |
| 58 | Biscuit Industry   |   |   |
| 59 | Coal Briquette Industry  |   |   |
| 60 | Private Security Agency  |   |   |
| 61 | Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)                          |   |   |
| 62 | Mineral Grinding Industry  |   |   |
| 63 | Employment of Sweeping and Cleaning  |   |   |
| 64 | Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots              |   |   |
| 65 | Employment in Motor garages and workshops  |   |   |
| 66 | Employment of Motor Body Building.   |   |   |
| 67 | Employment of Mess, Canteens and Clubs   |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 68 | Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.                        |   |   |
| 69 | Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)                    |   |   |
| 70 | Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line. |   |   |
| 71 | Employment in Electricity Generator and supply  |   |   |
| 72 | Employment in Decoration of Pandal etc.   |   |   |
| 73 | Grinding and crushing of Mineral ore.   |   |   |
| 74 | Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.  |   |   |
| 75 | Computer Coaching Institute etc.  |   |   |
| 76 | Employment of Mobile Tower etc.   |   |   |
| 77 | Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976                                       |   |   |

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2017, which is 2<sup>nd</sup> half of 2017, will be payable from 01.04.2018.

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 592 Ranchi, Dated 26.03.18 ]

By Order of the Governor of Jharkhand,

  
(Budhdeo Bhagat)

Under Secretary to Government



ज्ञापक-2/एम०डब्लू०-2071/2010,अ०नि०- 592 राँची, दिनांक 26.03.18

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उम्से अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
(बुद्धदेव भगत)  
सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापक-2/एम०डब्लू०-2071/2010,अ०नि०- 592 राँची, दिनांक 26.03.18

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(बुद्धदेव भगत)  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-2/एम०डब्लू०-2071/2010,अ०नि०- 592 राँची, दिनांक 26.03.18

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला/घण्टीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता पर्वट (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता पर्वट के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

  
(बुद्धदेव भगत)  
सरकार के अवर सचिव।

## अनुसूची-1

| क्रम सं० | अनुसूचित नियोजनों का नाम                          | अधिसूचना सं० एवं तिथि                     | शुल्क-दिसाब्द, २०१४ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है। | शुल्क-दिसाब्द, २०१७ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर मजदूरी पना देय है। | उपरोक्त मूल्य सूचकांक में वृद्धि (५-४) | वर्गे हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील मजदूरी की अधिकतम राशि  | तिथि जब से परिवर्तनशील मजदूरी परी लागू होगी। |   |
|----------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| 1        | 1   | 2   | 3  | 4   | 5                                      | 6   | 7  | 8 |
| 1        | कांथ निर्माण एवं सिंचाई कालों के नियोजन           | अधिसूचना सं०-१४६७, १४६८ दिनांक १४.०८.२०१५ | २५३  | २८६   | ३३<br>अर्थात्<br>33X१००<br>=३३.०४%     | क) ₹०.२१०.०० पर ₹०.२७.३८ प्रतिदिन<br>ख) ₹०.२२० पर ₹०.२८.६८ प्रतिदिन<br>ग) ₹०.२९० पर ₹०.३७.८९ प्रतिदिन<br>घ) ₹०.३३५.०० या अधिक ₹०.४३.६८ प्रतिदिन | दिनांक<br>०१.०४.२०१६ से                      |   |
| 2        | पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन | गैरव                                      |  |   |  |   |  |   |
| 3        | उप शौचालय और उप विनिर्माण शालाओं के नियोजन        | गैरव                                      |  |   |  |   |  |   |
| 4        | वॉल्ट स्टेशन के नियोजन                            | गैरव                                      |  |   |  |   |  |   |
| 5        | डिस्ट्रिब्यूशन के नियोजन                          | गैरव                                      |  |   |  |   |  |   |
| 6        | गाड़ीवा के नियोजन                                 | गैरव                                      |  |   |  |   |  |   |
| 7        | बैकरीज एवं कनफेक्शनरीज के नियोजन                  | गैरव                                      |  |   |  |   |  |   |
| 8        | को-ऑपरेटिव सेक्टर के नियोजन                       | गैरव                                      |  |   |  |   |  |   |

मासिक

- क) ₹०.५४६० पर ₹०.७११.९८ प्रतिमाह
- ख) ₹०.५७२० पर ₹०.७४५.८८ प्रतिमाह
- ग) ₹०.७५४० पर ₹०.९८३.२१ प्रतिमाह
- घ) ₹०.८७९० या अधिक ₹०.११३५.७८ प्रतिमाह











| 1  | 2  | 3                           | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|----|--|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 71 | इलेक्ट्रीसिटी बेरोमेटर एवं मालगई के नियोजन                                 | तटव                         | तटव | तटव | तटव | तटव | तटव |
| 72 | रंडाल आदि का साज सज्जा आदि के नियोजन                                       | तटव                         | तटव | तटव | तटव | तटव | तटव |
| 73 | ग्राईडिंग एण्ड क्लिनिंग ऑफ पिनरल और के नियोजन                              | तटव                         | तटव | तटव | तटव | तटव | तटव |
| 74 | सजारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले<br>इईवर / खलसी / परिवालक आदि के नियोजन  | तटव                         | तटव | तटव | तटव | तटव | तटव |
| 75 | काम्यूटर शिक्षण संस्थान आदि के नियोजन                                      | तटव                         | तटव | तटव | तटव | तटव | तटव |
| 76 | मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य                                     | अधिरूचना सं०-<br>१४६९, १४७० | तटव | तटव | तटव | तटव | तटव |
| 77 | विक्रम पोल्सालन कर्मचारी (सेवा को शर्त)<br>अधिनियम १९७६ में आव्यहित नियोजन | दिनांक १४.०८.१५             | तटव | तटव | तटव | तटव | तटव |

(संख्या-2/एम०डब्ल्यू०-2071/2010, शं०नि०-592) राँची, दिनांक 26.03.18

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से.



राज्यपाल के आदेश से।

## Schedule-I

| Sl No | Name of the Schedule Employment   | Notification No. and Date                  | Average of Indices of July-December, 2014 of Minimum rates of wages revised | Average of Indices of July-December 2017 on which V.D.A. is payable | Total Variation on Index (5-4)           | Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise  |   |
|-------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| 0     | 1                                 | 2  | 4   | 5   | 6  | 7   |   |
| 1     | Dam Construction and Irrigation   | Notification No-1467, 1468 Date 14-08-2015 | 253   | 286   | 33<br>Or<br>33x100<br>253<br>=13.04<br>% | (a) On Rs. 210.00 Rs. 27.38 per day<br>(b) On Rs. 220.00 Rs. 28.68 per day<br>(c) On Rs. 290.00 Rs. 37.81 per day<br>(d) Rs. 315.00 and above Rs. 43.68 per day | 0 |
| 2     | Shops Selling Cooked food stuff   | -Do-                                       |   |   |  |   |   |
| 3     | Tanneries and Leather Manufactory | -Do-                                       |   |   |  |   |   |
| 4     | Cold Storage                      | -Do-                                       |   |   |  |   |   |
| 5     | Distilleries                      | -Do-                                       |   |   |  |   |   |
| 6     | Potteries                         | -Do-                                       |   |   |  |   |   |
| 7     | Bakeries and Confectionaries      | -Do-                                       |   |   |  |   |   |

**Monthly**







|    | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|----|---|---|------|------|------|------|------|
| 70 | Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line. | -Do-  | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 71 | Employment in Electricity Generator and supply  | -Do-  | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 72 | Employment in Decoration of Pandal etc.   | -Do-  | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 73 | Grinding and crushing of Mineral ore.   | -Do-  | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 74 | Employment of Bus and Truck Driver/ Conductor and Cleaners.   | -Do-  | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 75 | Computer Coaching Institute etc.  | -Do-  | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 76 | Employment of Mobile Tower etc.   | Mentioned No-1989,<br>1970<br>Tare 14/06/2015 | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 77 | Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976                                       | -Do-  | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |

-----:5:-----

[No-2/MW-2071/2010, L & T.....573.....Ranchi, Dated .....26.03.18.....

By order of the Governor of Jharkhand,

(Budhdeo Bhagat)  
Under Secretary to Government



| 0  | 1   | 2  | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|----|---|--|------|------|------|------|------|
| 70 | Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line. | -Do-   | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 71 | Employment in Electricity Generator and supply  | -Do-   | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 72 | Employment in Decoration of Pandal etc.   | -Do-   | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 73 | Grinding and crushing of Mineral ore.   | -Do-   | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 74 | Employment of bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.  | -Do-   | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 75 | Computer Coaching Institute etc.  | -Do-   | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 76 | Employment of Mobile Tower etc.   | Modification No-1469/<br>1976<br>Date 14.08.2015 | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |
| 77 | Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976                                       | -Do-   | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- | -Do- |

-----:5:-----

INo-2/MMW-2071/2010, L & T.....592.....Ranchi, Dated .....24.03.18.....

By order of the Governor of Jharkhand,

(Budhdeo Bhagat)

Under Secretary to Government